समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्त्व, न्याय

रिपब्लिकन आघाडी

एकच लक्ष, रिपब्लिकन पक्ष

इंदोरा चौक, कामठी रोड, नागपूर.

प्रति,
माननीय मुख्य संपादकजी

प्रेस नोट

AICTE के चेअरमन प्रो. श्री. अनिल सहस्त्रबुद्धे द्वारा एस. बी. जैन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों को तुरंत वेतन देने के निर्देश ।

रिपब्लिकन आघाडी ने AICTE से की थी शिकायत ।

COVID-19 पैंडमिक का हवाला देकर S. B. Jain Institute of Technology ने शिक्षको व गैर शिक्षक कर्मचारीयो के वेतन मे भारी कटौती कर किया था भुगतान।

एस. बी. जैन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड रिसर्च, काटोल रोड, नागपुर के शिक्षकगन तथा गैर शिक्षक कर्मचारियों ने रिपब्लिकन आघाडी से शिकायत की थी कि संस्था व कॉलेज द्वारा अप्रैल २०२० से ओक्टोबेर २०२० तक, ७ माह के उनके वेतन में COVID-19 पैंडमिक का हवाला देकर भारी कटौती कर भुगतान किया गया । अनेक वर्षो से काम कर रहे सभी शिक्षकगन व गैरशिक्षक कर्मचारियों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड रहा ।

वेतन में कटौती कर किया गया भुगतान इस प्रकार है :-

अप्रैल (April) २०२०	कुल वेतन का केवल २५%	भुगतान
मई (May) २०२०	कुल वेतन का केवल २५%	भुगतान
जून (June) २०२०	कुल वेतन का केवल २५%	भुगतान
जुलाई (July) २०२०	कुल वेतन का केवल २५%	भुगतान
अगस्त (August) २०२०	कुल वेतन का केवल ५०%	भुगतान
सप्टेंबर (September) २०२०	कुल वेतन का केवल ५०%	भुगतान
ऑक्टोबर (October) २०२०	कुल वेतन का केवल ७५%	भुगतान

कॉलेज द्वारा वेतन में इतनी भारी कटौती कर शिक्षकों व गैरशिक्षक कर्मचारियों के साथ अन्याय किया गया । सम्पूर्ण COVID-19 पैंडमिक में भी शिक्षकों ने घर से तथा तद्पच्यात कॉलेज में आकर ऑनलाइन पढाई (Online Teaching) द्वारा शिक्षा देने का पूरा काम किया । उसी प्रकार गैर शिक्षक कर्मचारियों ने भी COVID-19 पैंडमिक की शुरुवात में घरो से तथा बाद में कॉलेज में जाकर काम किया। अप्रैल से ऑक्टोबर २०२० तक कुल सात माह के सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की रक्कम लगभग

रु. २ करोड़ से रु. २.२५ करोड़ होती है, वह संस्था व कॉलेज द्वारा COVID-19 पैंडमिक का हवाला देकर पचाना चाहती है ।

केंद्र तथा राज्य शासन ने कभी कोई आदेश जारी नहीं किया की COVID-19 पैंडमिक में शैक्षणिक संस्थो के कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर भुगतान करे । नाही शासन ने किसी भी संस्था को ट्युशन फ़ीस में कटौती करने को कहा । महाराष्ट्र शासन द्वारा शिष्यवृत्ति (Scholarship) की रक्कम में भी कोई कटौती नही की गई । कॉलेज में लगभग ९०% से ९५% प्रतिशत विद्यार्थी शिष्यवृत्ति प्राप्त कर पढ़ते है जिसका केंद्र व राज्य शासन द्वारा कॉलेज को पूरा भुगतान किया जाता है । विद्यार्थीयो द्वारा भी बकाया फ़ीस कॉलेज को अदा किया गया । फिर यह कॉलेज किस आधार पर वेतन में इतनी भारी कटौती कर भुगतान कर रहा है । जिन शिक्षकों व गैर शिक्षकों ने इस बात का विरोध किया तथा आपत्ति जताई, उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है ।

रिपब्लिकन आघाडी के निमंत्रक श्री संजय पाटिल ने **आल इंडिया कॉउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन** (AICTE), नई दिल्ली के चेअरमन प्रो. श्री अनिल सहस्त्रबुद्धे से एस. बी. जैन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड रिसर्च के खिलाफ COVID-19 का हवाला देकर अप्रैल २०२० से ऑक्टोबर २०२० तक वेतन में भारी कटौती कर भुगतान करने की शिकायत की थी | AICTE के चेअरमन ने इस बात की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश जारी किया कि वे यथाशीघ्र इस मसले को निपटाए तथा शिक्षकों व् अन्य कर्मचारियों के वेतन का जल्द से जल्द भुगतान करे | श्री सहस्त्रबुद्धे ने अपने निर्देश में यह भी कहा कि COVID-19 के इस महामारी के दौरान वे किसी भी शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन नहीं रोक सकते और ना ही किसी को नौकरी से निकाल सकते है |

रिपब्लिकन आघाडी ने इससे पहले आघाडी के निमंत्रक श्री संजय पाटिल के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने समाज कल्याण विभाग के नागपुर विभाग के उपयुक्त, श्री सिद्धार्थ गायकवाड़ तथा नागपुर जिल्हे के सहाय्यक आयुक्त, श्री बाबासाहेब देशमुख से भेंट कर इस बात की शिकायत कर कार्यवाही करने का निवेदन सौपा था | समाज कल्याण विभाग ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया | जल्द ही एस. बी. जैन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड रिसर्च तथा संस्था पर कार्यवाही होने जा रही है |

सलग्न :-
AICTE से जारी निर्देश
की email कॉपी

Patil
संजय पाटिल
निमंत्रक, रिपब्लिकन आघाडी
मो. न. ९६८९२५११०८

publicgrievence
publicgrievence <pubgrv@aicte-india.org>
to principal, me

23 Jun 2021, 10:26 (3 days ago)

Sir

As you are aware, our country is going through a National Emergency that has arisen due to the outbreak of COVID-19 Pandemic. AICTE has already issued guidelines regarding payment of salaries to faculty and staff members and not to terminate the service during COVID Period.

In view of the above, you are hereby advised to settle the issue immediately and make payment of salaries at the earliest.

rgds
PGRC
AICTE - HQ

---------- Forwarded message ---------
From: **Prof. Anil D Sahasrabudhe** <chairman@aicte-india.org>
Date: Wed, Jun 23, 2021 at 12:27 AM
Subject: Fwd: Complaint Regarding Non Payment of Complete Salary by SB Jain Institute of Technology, Management & Research, Nagpur
To: publicgrievence publicgrievence <pubgrv@aicte-india.org>

Regards,
Yours sincerely,
Anil Sahasrabudhe
Chairman AICTE